भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2540

(16 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

नमो ड्रोन दीदी योजना

2540. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को वितरित किए गए ड्रोनों की कुल संख्या और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ड्रोन संचालन हेतु महिला स्वयं सहायता समूहों को जागरूक करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) इन जागरूकता अभियानों के प्रशिक्षण और संचालन पर सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार केरल के तटीय क्षेत्र में महिलाओं के बीच ड्रोन वितरित करने को, जिससे उनकी आजीविका के अवसर बढ़ सकें, प्राथमिकता देगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) से (ग): सरकार ने वर्ष 2023-24 से 2025-26 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु 'नमो ड्रोन दीदी' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को ₹1261 करोड़ के व्यय के साथ अनुमोदित किया है।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य बेहतर दक्षता, फसल उत्पादन में वृद्धि तथा संचालन लागत में कमी तथा महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की आय में वृद्धि और आजीविका में सहायता हेतु उन्हें ड्रोन सेवा प्रदाता के रूप में सशक्त बनाने के उद्देश्य से कृषि में उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अग्रणी उर्वरक कंपनियों (एलएफसी) द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए 1,094 ड्रोन एसएचजी को वितरित किए गए हैं। इन 1,094 ड्रोन में से 500 ड्रोन 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के अंतर्गत एसएचजी को वितरित किए गए हैं। इन ड्रोन का राज्यवार वितरण अनुबंध में दर्शाया गया है।

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत ड्रोन एक पैकेज के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की एक सदस्य के लिए पंद्रह दिवस का प्रशिक्षण भी शामिल होता है। यह प्रशिक्षण ड्रोन उड़ान, ड्रोन नियमों के प्रावधानों की समझ, पोषक तत्वों एवं कीटनाशकों के अनुप्रयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), कृषि कार्य हेतु ड्रोन उड़ान का अभ्यास तथा ड्रोन की छोटी-मोटी मरम्मत एवं रखरखाव शामिल होता है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दिसंबर 2021 में कीटनाशक छिड़काव द्वारा फसल संरक्षण तथा कृषि, वानिकी, गैर-फसली क्षेत्रों आदि में मिट्टी एवं फसल पोषक तत्वों के छिड़काव हेतु ड्रोन उपयोग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जो ड्रोन के प्रभावी और सुरक्षित संचालन हेतु संक्षिप्त निर्देश प्रदान करती है। इसमें वैधानिक प्रावधान, उड़ान अनुमति, क्षेत्र एवं दूरी संबंधी प्रतिबंध, भार वर्गीकरण, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के प्रतिबंध, ड्रोन पंजीकरण, सुरक्षा, बीमा, पायलट प्रमाणन, संचालन योजना, हवाई उड़ान क्षेत्र, मौसम की स्थिति, संचालन से पूर्व, दौरान एवं बाद के लिए प्रचालनात्मक निर्देश और आपातकालीन प्रबंधन योजना आदि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। अप्रैल 2023 में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों के प्रयोग हेतु एसओपी भी जारी किए गए हैं, जिससे विविध कृषि-जलवायु परिस्थितियों में उगाई जाने वाली 10 विभिन्न फसलों में कीटनाशकों के साथ किसान ड्रोन के संभावित उपयोग का दायरा बढ़ गया है। इसमें तापमान, आर्द्रता, हवा की गति, भौगोलिक स्थिति तथा फसल की अवस्था/स्थिति आदि संबंधित मानकों के आधार पर ड्रोन संचालन संबंधी जानकारी सम्मिलित है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के तहत ₹52.50 करोड़ की वित्तीय सहायता से किसानों के खेतों पर व्यापक प्रदर्शन के माध्यम से कृषि में ड्रोन उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान, देशभर में आईसीएआर संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों तथा कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके) द्वारा पोषक तत्वों, उर्वरकों तथा रसायनों (कीट एवं रोग प्रबंधन) के उपयोग पर इन एसओपी का पालन करते हुए तथा 40,918 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए किसानों के खेतों पर 40,928 किसान ड्रोन प्रदर्शन किए गए।

(घ) और (ड.): 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत केरल राज्य में 02 ड्रोन वितरित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत केरल राज्य को 82 ड्रोन का आवंटन भी सूचित किया गया है।

राज्य स्तर पर गठित समिति, ड्रोन उपयोग हेतु राज्य विशेष में उपयुक्त क्लस्टरों का चयन करने, डीएवाई-एनआरएलएम अंतर्गत ड्रोन प्रदान करने के लिए प्रगतिशील महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का चयन करने, ड्रोन पायलट एवं ड्रोन सहायक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिला एसएचजी की सदस्यों का चयन करने, जिलेवार ड्रोन उपयोग का आकलन करने, ड्रोन उपयोग से संबंधित वर्तमान कमी, उपलब्धता तथा भविष्य की आवश्यकताओं की पहचान करने, एलएफसी एवं कीटनाशक कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित करके चयनित महिला एसएचजी को व्यवसाय उपलब्ध कराने/सुनिश्चित करने जैसे दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। केरल राज्य ने कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में

समिति का गठन कर दिया है जिसमें – कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग, केरल सरकार, केरल कृषि विश्वविद्यालय, स्थानीय स्वशासन विभाग, डीएवाई-एनआरएलएम के राज्य मिशन निदेशक, सहकारी समितियाँ विभाग, फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) के सदस्य शामिल हैं।

अनुबंध

'नमो ड्रोन दीदी योजना' के संबंध में दिनांक 16.12.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने को नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2540 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत वितरित ड्रोन का राज्य-वार ब्यौरा

क्र. स.	राज्य का नाम	एलएफसी द्वारा वितरित ड्रोन की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	96
2	असम	9
3	बिहार	5
4	छत्तीसगढ़	12
5	गुजरात	18
6	हरियाणा	22
7	हिमाचल प्रदेश	4
8	झारखंड	1
9	कर्नाटक	82
10	केरल	2
11	मध्य प्रदेश	12
12	महाराष्ट्र	30
13	ओडिशा	12
14	पंजाब	23
15	राजस्थान	17
16	तमिलनाडु	17
17	तेलंगाना	32
18	उत्तर प्रदेश	33
19	उत्तराखंड	7
20	पश्चिम बंगाल	20
कुल		**500**